रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261007
CG-DL-E-14022025-261007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2025/माघ 23, 1946
No. 47] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025/MAGHA 23, 1946

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2025

ग्रिड कनेक्टेड पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन।

सं. 48-19/2/2024-एनआरई:—ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों को दिनांक 21 अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1 - खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/03/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किए गया है। इसके बाद, उक्त दिशा -निर्देश क्रमश: 17 नवंबर,2023 के संकल्प संख्या 48-19/2/2023-एनआरई और 2 फरवरी, 2024 के संकल्प संख्या 48-19/2/2024-एनआरई के माध्यम से संशोधित किये गये हैं।

2. केंद्र सरकार, एतद्वारा, 21 अगस्त, 2023 को अधिसूचित एवम् 17 नवंबर, 2023 और 2 फरवरी, 2024 को संशोधित उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है:-

i. मौजूदा दिशा-निर्देशों के खंड 5.2 के बाद एक नया खंड 5.3 जोड़ा गया है:

"5.3 स्थान-विशिष्ट बोलियों के मामले में, क्रेता इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) / इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएनएसटीएस)में उप-स्टेशन(ओं) को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जहां विकासकर्ता पवन सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजना को जोड़ेंगे।"

ii. मौजूदा दिशा-निर्देशों के खंड 7.4 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

"विधि में परिवर्तन: विधि में परिवर्तन के प्रावधान विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों के अनुसार होंगे। इसके अतिरिक्त, विधि में परिवर्तन ("सीआईएल") शब्द बोली जमा करने की अंतिम तिथि से सात (7) दिन पहले परियोजना से संबंधित किसी भी घटना की प्रघटना को संदर्भित करेगा"

iii. दिशानिर्देशों की धारा 7.7 (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

"यदि उत्पादक परियोजना सीओडी के तुरंत बाद 31 मार्च को समाप्त होने वाले पहले संविदा वर्ष को छोड़कर लगातार 2 (दो) वर्षों के लिए पीपीए में निर्दिष्ट न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में विफल रहता है, तो उत्पादक की चूक (डिफ़ॉल्ट) होगी। उत्पादक का वार्षिक न्यूनतम सीयूएफ दायित्व 2 चूक (डिफ़ॉल्ट) वर्षों के वास्तविक सीयूएफ के औसत तक कम हो जाएगा और उत्पादक खरीदार को वार्षिक न्यूनतम सीयूएफ दायित्व में कमी के लिए 24 (चौबीस) माह या शेष पीपीए अवधि जो भी कम हो, के टैरिफ के बराबर एकमुश्त हर्जाना देने के उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि यदि उत्पादक एकमुश्त हर्जाना देने में विफल रहता है, तो उत्पादक की ऐसी विफलता को चूक(डिफ़ॉल्ट) की घटना माना जा सकता है और पीपीए समाप्त किया जा सकता है। पीपीए की समाप्ति की स्थिति में, उत्पादक, क्रेता को निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ के साथ अपनी संविदा की गई क्षमता के लिए 24 (चौबीस) माह या शेष पीपीए अवधि जो भी कम हो, के टैरिफ के बराबर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

iv. मौजूदा दिशा-निर्देशों के खंड 9.2.1 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है::

"9.2.1. तकनीकी मानदंड :

i. सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, खरीददार तकनीकी मानदंड का उल्लेख सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।

ii. विकासकर्ता संबंधित केंद्रीय सरकारी एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों और मानकों के अनुसार जीपीएस सक्षम स्वचालित मौसम स्टेशन (ए डब्ल्यू एस) को स्थापित करेगा और उसका रखरखाव करेगा। ऐसे एडब्ल्यूएस से आंकडों की उपलब्धता भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के प्रावधानों और समय-समय पर उपयुक्त भार प्रेषण केंद्र से निर्देशों के अनुसार, उपयुक्त भार प्रेषण केंद्र और अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

iii. तकनीकी मानदंडों में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल होंगे कि विकासकर्ता साइबर सुरक्षा से निपटने वाले केंद्रीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी लागू साइबर सुरक्षा विनियमों, निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।"

v. नया खंड 11.2 जोड़ा गया तथा खंड 11.1 के बाद खंड को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

"11.2 सामान्य परिस्थितियों में, पीपीए और पीएसए (यदि लागू हो) पर हस्ताक्षर एलओए जारी होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इस अवधि को एलओए तिथि से 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद एलओए रद्द कर दिया जाएगा।

नोट: यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीदार बोली प्रक्रिया में किसी भी घटना के लिए 11.2 के अनुपालन के अध्यधीन विस्तारित समय देता है, तो घटना से पहले पूरी की जाने वाली गतिविधियों को प्राप्त करने में देरी के कारण, या किसी अन्य कारण से, समय का ऐसा विस्तार किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से विचलन के रूप में नहीं माना जाएगा।"

vi. दिशानिर्देशों की धारा 12.4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

"अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीदार, जैसा भी मामला हो, इन दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, ई-रिवर्स नीलामी या अन्य के माध्यम से टैरिफ डिस्कवरी के 30 (तीस) दिनों के भीतर, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्राप्त टैरिफ लागू (एडाप्ट) करने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।"

vii. बयाना जमा राशि स्थापित करने के लिए नया प्रावधान धारा 13.1(क) के बाद निम्नानुसार जोड़ा गया है:

"13.1(क1) बीमा ज़मानत बांड (इंश्योरेंस सिक्यूरिटी बांड) जिसका भुगतान बिना किसी शर्त बैंक गारंटी के समान किया जाएगा।

अथवा

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों में अनुमोदित कोई अन्य साधन।

अथवा"

viii. कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी की स्थापना के लिए धारा 13.2(क) के पश्चात एक नया साधन निम्नानुसार जोड़ा गया है:

"13.2(क1) बीमा जमानत बांड (इंश्योरेंस सिक्यूरिटी बांड) जिसका भुगतान बिना किसी शर्त के बैंक गारंटी के समान किया जाएगा।

अथवा

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों में अनुमोदित कोई अन्य साधन।

अथवा"

ix. दिशानिर्देशों के खंड 13.3 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

"अन्य निदानों के साथ,यह पीबीजी (या इन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदत्त विकल्प) पीपीए के संबंध में किन्हीं क्षतियों/ उत्पादक द्वारा देय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर, पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/देय राशियों को इन दिशा-निर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना की वास्तविक आपूर्ति तिथि से 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा। विद्युत की आपूर्ति के आंशिक रूप से चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी को वस्तविक आपूर्ति तिथि से 45 दिनों के अंदर वापस(रिलीज) किया जाएगा।"

x. मौजूदा दिशा-निर्देशों के खंड 19 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के लिए इन दिशानिर्देशों से/अथवा एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा। उपयुक्त आयोग, ऐसी याचिका दायर करने के यथोचित समय के भीतर जो कि 60 (साठ) दिनों से ज्यादा नहीं होगा, बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरुरत बताएगा।

बशर्ते कि यदि किसी बोली के लिए, इन संशोधनों की अधिसूचना से पहले विचलन, पहले से ही उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, तो उस बोली के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा नए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

हेमंत कुमार पांडेय, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 12th February, 2025

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projects.

No. 48-19/2/2024-NRE—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified vide Resolution No. 27/03/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 21st August, 2023. Subsequently, the said Guidelines were further amended vide resolution No. 48-19/2/2023-NREdated 17thNovember, 2023 and resolution No. 48-19/2/2024-NRE dated 2nd February, 2024 respectively.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 21st August, 2023 amended on 17th November, 2023 and 2nd February, 2024 :-

i. A new clauses 5.3 has been added after Clause 5.2 of the existing guidelines:

"5.3 In case of location specific bids, the procurer may specify the sub-station(s) in Inter-State Transmission System (ISTS)/ Intra-State Transmission System (InSTS), where the developers will connect the Wind Solar hybrid Power Project."

ii. Clause 7.4 of the existing guidelines has been modified as under:

"*Change in Law: The provisions for Change in law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 and amendments thereof issued from time to time. Further, the term Change in Law ("CIL") shall refer to the occurrence of any event related to the project from seven (7) days prior to the last date of Bid Submission"*

iii. Section 7.7 (b) of the Guidelines has been modified as under:

"In the event the Generator fails to maintain energy supply corresponding to the minimum CUF as declared in the PPA for 2(two) consecutive years excluding the first Contract year ending on 31st March immediately after Project CoD, the Generator shall be in default. The Generator's yearly minimum CUF obligation shall get reduced to the average of actual CUF for the 2 default years and the Generator shall be obligated to pay to the Procurer lump-sum damages equivalent to 24 (twenty-four) months or balance PPA period whichever is less, of the tariff, for the reduction in yearly minimum CUF obligation.

Provided that in case the Generator fails to pay the lump sum damages then, such failure of the Generator may be treated as an event of default and the PPA may be terminated. In the event of termination of PPA, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF."

iv. Clause 9.2.1 of the existing guidelines has been modified as under:

"9.2.1. Technical Criteria:

i. The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria.Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved.

ii. The developer shall install and maintain GPS enabled Automatic Weather Station (AWS) as per the technical specifications and standards specified by relevant Central Government agency. Availability of the data from such AWS shall be ensured as specified by the appropriate Load Dispatch Centre and other Central government agencies in accordance with the provisions of Indian Electricity Grid Code and instructions from the appropriate Load Dispatch Centre from time to time.

iii. The technical criteria shall include provisions to ensure that the developer complies with applicable cybersecurity regulations, directives, and guidelines issued by the Central Government Authorities dealing with cybersecurity."

v. New clause 11.2 has been inserted and note after clause 11.1 has been as under:

"11.2 In normal circumstances, the signing of the PPA and PSA (if applicable) should be completed within 30 (thirty) days from the issuance of the LoA. This period may be extended up to 12 months from the LoA date, beyond which the LoA will be cancelled.

Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time, subject to adherence to 11.2, for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines"

vi. Section 12.4 of the Guidelines has been modified as under:

"Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case may be, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act within 30(Thirty) days of the discovery of the tariffsafter the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines."

vii. New instrument for establishment of Earnest Money deposit has been added after clause 13.1(a)

"13.1(a1) Insurance Surety Bonds which would be paid unconditionally similar to a Bank Guarantee

OR

Any other instrument approved in General Financial Rules as amended from time to time by Central Government.

OR"

viii. New instrument for establishment of Performance Bank Guarantee has been added after clause 13.2(a)

"13.2(a1) Insurance Surety Bonds which would be paid unconditionally similar to a Bank Guarantee

OR

Any other instrument approved in General Financial Rules as amended from time to timeby Central Government.

OR"

ix. Clause13.3 of the Guidelines has been modified as under:

"In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the

damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under clause 7.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the actual commencement of supply date of the project. In case of commencement of supply of power from part capacity of the project, PBG corresponding to such part capacity should be released within 45 days of the actual commencement of supply date."

x. Clause 19 of the existing guidelines has been modified as under:

"In case it becomes imperative for the Procurer/intermediate procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days.

Provided that if, for a bid, the deviations are already approved by the Appropriate Government prior to notification of these amendments, fresh approval by the Appropriate Commission shall not be required for that bid."

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer(R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.14 11:05:16 +05'30'